



2026:AHC-LKO:42285

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 4853 वर्ष 2026

मोहम्मद अशर

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अफरीन बानो

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें भा०न्या०सं० की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) के तहत मुकदमा अपराध संख्या 0035/2026, थाना कोतवाली टांडा, जिला अंबेडकर नगर में मुकदमे के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि आवेदक केंद्र सरकार का कर्मचारी है और केंद्रीय विद्यालय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संगठन में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत है। उन्होंने आगे कहा कि संस्थान के उपस्थिति अभिलेख के अनुसार, आवेदक वहां उपस्थित था, इसलिए यह संभव ही नहीं है कि उसने उत्तर प्रदेश स्थित बैंक खाते से राशि निकाली हो।

4. इसके बाद उन्होंने बताया कि उमर अहमद, जो आवेदक का रिश्तेदार है, ने बैंक कर्मचारी सहित अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से आवेदक के खाते में राशि स्थानांतरित की और फिर उसे निकाल लिया। उन्होंने आगे बताया कि आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए आवेदक द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है और आगे किसी भी प्रकार की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

5. इसके बाद उन्होंने कहा कि सह-आरोपी शरद मौर्य को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि आवेदक को जेल में रखने से कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 16.04.2026 से जेल में बंद है। अंत में, उन्होंने कहा कि आवेदक यह वचन देता है कि जमानत पर रिहा होने पर वह मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने पर, यह प्रतीत होता है कि आवेदक केंद्रीय विद्यालय संगठन में लाइब्रेरियन के रूप में कार्यरत है और जमानत आवेदन के साथ दाखिल

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपस्थिति अभिलेख के अनुसार, वह संबंधित तिथि को अपने कार्यस्थल पर उपस्थित था। यह भी निवेदन किया है कि सह-आरोपी शरद मोर्य, जिस पर जाली बीमा पॉलिसी/बॉन्ड बनाने का आरोप है, को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3421/2026 में दिनांक 13.05.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक 16.04.2026 से जेल में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **मोहम्मद अशर** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (1) आवेदक विवेचना या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
 - (2) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। वह प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के तहत कार्यवाही कर सकती है;
 - (3) आवेदक को मुकदमे की शुरुआत, अभियोग निर्धारण और धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा;
- और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(4) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं०प्र०सं० के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

9. जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की जाँच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी और उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगी।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां इस जमानत प्रार्थना-पत्र के निपटारे तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

जून 30, 2026

दिव्या

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।